O/o C. R. Section (RTH)
Dairy No. 1250584/2017
Date 12/10/2017

सेवा में,

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी / अनुभाग अधिकारी
भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
नई दिल्ली।

महोदय,

संलग्न प्रपत्रो का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसमें मेरे द्वारा उमेश कटारा क्षेत्रीय अधिकारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार से सूचना मांगी थी जिस पर आपने पत्र लिखकर अवगत कराया कि भुगतान के लिये भेजे गये पोस्टल आर्डर पर सही पता नही लिखा है। अतः मैं आपके अनुसार 10/–रू0 का पोस्टल आर्डर नं0 31F 719256 भेज रहा हूँ, नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें।

RTI

दिनांक 06.10.2017

प्रार्थी
(हस्ताक्षर)
धर्मवीर सैनी
हजारी बाग कनखल
जिला हरिद्वार।

922

RECEIVED
Ministry of Road Transport & Highways

F-SO(RTI)
13/10/17

fee recd.
Pl. put up
orig. RTI app.
13/10
SO 13/10/17

Sh. A.M.
16/x/17

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी/
कार्यालय श्री उमेश कटारा जी
क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क व परिवहन मंत्रालय
भारत सरकार, 46/1, जाखण, देहरादून ।

Pl. transfer to CE(NH) for replying directly 9/5/17

DD not in favour of PAO 09/05/17 AEE(HQ)

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को आपके कार्यालय से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निम्न सूचना की आवश्यकता है –

1– आप संलग्न छायाप्रति का अवलोकन करने की कृपा करें जिसमें मेरे द्वारा 24–04–2017 को सीमा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी गाजियाबाद द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अन्तर्गत एनएच–58 पर नेपाली फार्म से लेकर कोयल घाटी तक टू–लेन के कार्यो के लिए वर्ष 2014 में अनुबन्ध किया गया था । शर्तो के अनुसार बैचिंग प्लांट से एक वर्ष की समयावधि में कार्य कराये जाने थे लेकिन आज तक भी कार्य पूर्ण नहीं हुए और मानक विपरीत प्लांट से कार्य कराकर सरकार को करोड़ो रूपये का नुक्सान दिया गया । जिसकी शिकायत मेरे द्वारा की गयी थी मेरे द्वारा की गयी शिकायती पत्र पर आज तक जो भी कार्यवाही की गयी उसकी छायाप्रति उपलब्ध करायें ।

सूचना आवेदन शुल्क के रूप में रूपये 10/– का पोस्टल आर्डर सं0 37F 726966– संलग्न है । कृपया समयावधि में प्रमाणित सूचना उपलब्ध करायें ।

धन्यवाद ।

प्रार्थी,

दिनांक 4-5-17

(धर्मवीर सैनी)
हजारीबाग–कनखल
जिला हरि

Regional Office (RO) Office MORT & H Dehradun
RECEIVED
No. 273
Date 8/5/17

12

राहुल गांधी जिन्दाबाद!! यशपाल आर्य जिन्दाबाद!! सूर्यकान्त धस्माना जिन्दाबाद!!

उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी

कार्यालय : 21, राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष : 2654000

धर्मवीर सैनी
प्रदेश संगठन सचिव
उत्तराखण्ड

निवास :- हजारीबाग,
कनखल, हरिद्वार
मो० 9837080474

INDIAN NATIONAL CONGRESS

पत्रांक.................. दिनांक 24-4-17

सेवा में,

श्री उमेश कटारा जी
क्षेत्रीय अधिकारी,
सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार
46/1, जाखण, देहरादून ।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि सीमा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी गाजियाबाद द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अन्तर्गत एन0एच0–58 पर नेपाली फार्म से लेकर कोयल घाटी तक 2–लेन के कार्य के लिए वर्ष 2014 में अनुबन्ध किया गया था । शर्तो के अनुसार 20 करोड़ रूपये की लागत के कार्यो के लिए बैचिंग प्लांट से डी0बी0एम0 एवं बी0सी0 का कार्य कराया जाना था, परन्तु ठेकेदार ने विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों को घूंस देकर मिलीभगत कर बिना बैचिंग प्लांट लगाए कार्य कराया जा रहा है । उक्त कार्य अनुबन्ध अनुसार एक वर्ष में पूरा होना था लेकिन तीन वर्ष बीत जाने पर भी पूर्ण नहीं हुआ है । उक्त कार्य बी0सी0 प्लांट से कराने से सरकार को करोड़ो रूपये का चूना लगाया जा रहा है वहीं डी0बी0एम0 एवं बी0सी0 का कार्य न कराकर बी0एम0 एवं एस0डी0बी0सी0 के मानकों से कार्य कराया जा रहा है जबकि दोनो की दरों में भारी अन्तर है । मार्ग का निर्माण आगे–आगे हो रहा है – पीछे–पीछे टूटता जा रहा है। ठेकेदार व भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत से उक्त मार्ग पर मरम्मत के नाम पर भी सरकारी धन को बंदरबॉट किया जा रहा है । जब इस कार्य की निविदा खोली गयी थी, ठेकेदार द्वारा बैचिंग प्लांट के साथ–साथ क्वालिटी इंजीनियर, मैटिरियल इंजीनियर व बी0टैक इंजीनियर फर्म के पास होने का प्रमाण दिया गया था परन्तु ठेकेदार के पास उक्त कोई भी इंजीनियर नहीं है और न ही बैचिंग प्लांट है । हैरानी की बात है कि यह फर्जीवाड़ा माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल के विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है ।

अतः महोदय से जनहित में अनुरोध है कि नेपाली फार्म से कोयल घाटी तक सीमा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा अनुबन्ध समय उपरान्त बिना बैचिंग प्लांट से कराये गये कार्य व टूट फूट के नाम पर फर्जीवाड़ा दिखाकर किये गये कार्यो की जांच सी0बी0आई0 से करवाने की कृपा करें । धन्यवाद ।

भारतीय डाक
India Post

भवदीय,

(धर्मवीर सैनी)

O/o C. R. Section (RTI)
Dairy No. 12300058/2017
Date 15/05/2017

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी/
कार्यालय श्री मुख्य अभियन्ता पी–2
2–संसद मार्ग नई दिल्ली ।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को आपके कार्यालय से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निम्न सूचना की आवश्यकता है –

1– आप संलग्न छायाप्रति का अवलोकन करने की कृपा करें जिसमें मेरे द्वारा 24–04–2017 को सीमा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी गाजियाबाद द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अन्तर्गत एनएच–58 पर नेपाली फार्म से लेकर कोयल घाटी तक टू–लेन के कार्यों के लिए वर्ष 2014 में अनुबन्ध किया गया था । शर्तो के अनुसार बैचिंग प्लांट से एक वर्ष की समयावधि में कार्य कराये जाने थे लेकिन आज तक भी कार्य पूर्ण नहीं हुए और मानक विपरीत प्लांट से कार्य कराकर सरकार को करोड़ो रूपये का नुक्सान दिया गया । जिसकी शिकायत मेरे द्वारा की गयी थी मेरे द्वारा की गयी शिकायती पत्र पर आज तक जो भी कार्यवाही की गयी उसकी छायाप्रति उपलब्ध करायें ।

RTI
FSO(RTI) 17/5/17

सूचना आवेदन शुल्क के रूप में रूपये 10/– का पोस्टल आर्डर सं0 37F 726967 संलग्न है । कृपया समयावधि में प्रमाणित सूचना उपलब्ध करायें ।

(373)

धन्यवाद ।

प्रार्थी,

(धर्मवीर सैनी)
हजारीबाग–कनखल
जिला हरि

दिनांक 4-5-17

IPO not OK
After recovery fee
Sum & send to EE(P-2) Sh. Sandeep Gaur and
@ NHAI

17/5/17
Sh. Issem
17/05/17

सड़क परिवहन और राजमार्ग ... प्राप्त किया
15 MAY 2017
RECEIVED

फ.स.आई-I-34014/112/2017-आरटीआई
भारत सरकार
सड़क परिवहन एंव राजमार्ग मंत्रालय

दिनाक- **23.05.2017**

सेवा में,

श्री धर्मवीर सैनी
हजारी बाग़ कनखल
जिला - हरिद्वार
(उत्तराखंड)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री धर्मवीर सैनी से प्राप्त आवेदन।

.महोदय,

मुझे आपका पत्र दिनाक 04.05.2017 जो की इस मंत्रालय मे दिनाक 15.05.2017 को प्राप्त हुआ का अवलोकन करने का निर्देश हुआ है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कतिपय सुचना मांगे जाने के संबध में है।

2. इस संबध में यह देखा गया है कि आपके दारा निर्धारित प्राधिकारी के पक्ष में अपेक्षित आवेदन शुल्क का भुगतान नही किया है। अतः आपसे अनुरोध है कि **'भुगतान एवं लेखा अधिकारी (सचिवालय)' सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली,** को देय 10 रु0 का बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक/ भारतीय पोस्टल आर्डर इस मंत्रालय को तुरंत भेजा जाए। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन पर कारवाई 'आवेदन शुल्क' जमा कराने का बाद ही की जा सकती है। 10 रु0 का IPO 37F 726967, इसके साथ वापस किया जा रहे है I

भवदीय

घनश्याम मीना

घनश्याम मीना
अनुभाग अधिकारी(आर.टी.आई)

नव टका दश टाका दस रुपिया ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ പത്തു രൂപ दहा रुपये दस रुपए

अपराक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS

PAY TO लो०सू०अ०/लोपा०-उ०प्र०/अ०अ०/ता०मा० को
P-2 – 2 बलदे मार्ग नई दिल्ली

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दें।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

AT THE POST OFFICE AT

धर्मवीर सैनी
हजारी बाग, कनखल
हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
मो० 9837080474

के डाकघर में अदा करें।

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

37F 726967

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
TRANSPORT BHAVAN, 1 PARLIAMENT STREET
NEW DELHI - 110001

5303
Receipt No. Dated 16/10/17

Received RTI Application dated..............................

from Sh. Smt. / Mr. सर्वजीत सैनी

along with application fee of Rs. 10/- (Rupees Ten only) / Fee of Rs. —— (Rupees —— only) for providing information under RTI Act 2005 in Cash / Demand Draft / Cheque / IPO No. ✓ 37F 719256

Dated ....

Signature / Receipt Official (IFC)